न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

प्रकरण (दावा)सं0—106/2017

प्रविष्टि दिनांक —12.7.2017

उनवान

1. नन्ने खां पुत्र फयाज खां जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी तहसील व जिला टोंक
2. श्रीमती अनवार बी पत्नी नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक

–वादी/आवेदक

बनाम

1. गोपाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
2. गोपी पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
3. केसरा पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
4. रामफूल पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
5. मदनलाल पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
6. हजारीलाल पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
7. राजेन्द्र पुत्र मन्ना जाति बैरवा निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
8. नन्ने मियां पुत्र किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
9. मुन्ना मिया पुत्र किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
10. लाडला पुत्र किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
11. नन्नी पुत्री किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
12. मुन्नी पुत्री किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
13. कमो पुत्री किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
14. छोटी पुत्री किफायतुला जाति मुसलमान निवासी मेहगांव तहसील व जिला टोंक
15. गुल्लू खां पुत्र कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
16. नन्ने खां पुत्र कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
17. आहमद खां पुत्र कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
18. सायरा पुत्री कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
19. नन्नी पुत्र कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
20. हाजरा पुत्र कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
21. अच्छी बी पुत्री कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
22. सईदन बेवा कालू खां पटेल जाति मुसलमान निवासी खिडकी दरवाजा पुरानी टोंक
23. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्रीमती रमा चौधरी–वकील वादीगण
श्री कष्णगोपाल शर्मा–अभिभाषक प्रतिवादीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010

निर्णय

दिनांक– 15.11.17.

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आराजी ख.न. 559 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मेहगांव तहसील टोंक में स्थित है जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0 67 मे दर्ज है। उक्त आराजी में आवेदक सं0 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार है। आवेदक के हिस्से की जमीन भूमि के दक्षिण दिशा की

Scanned by CamScanner

तरफ ख.न. 678 व 679 के उत्तर दिशा की तरफ स्थित हैं। ख.न. 545 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम मेहगांव आवेदक के खातेदारी की आराजी है। आवेदक की भूमि ख.न. 559 के उत्तर मे व ख.न. 546 के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है। आवेदकगण अपनी भूमि पर ख.न. 680, 679 मे स्थित रास्ते जिसको संलग्न नक्शा शीट मे मार्क ए से डी स्थान से दर्शाया गया है से विगत कई वर्षो से आते जाते है तथा अपनी कृषि यंत्र लेजाते रहे हे। इस प्रकार आवेदकगण अपनी भूमि मे आने जाने के लिए 10 फिट रास्ता मार्क ए से डी स्थान पर प्राप्त करने का अधिकारी है। ख.न. 678 व 679 प्रतिपक्षी सं0 1 ता 7 की एवं ख.न. 680 व 681 प्रतिपक्षी सं0 8 ता 14 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जो आवेदक की भूमि मे आने जाने मे बाधा कारित करने लगे है। जबकि आवेदक कई वर्षो से उक्त रास्ते से आता जाता रहा है। संलग्न नक्शा शीट में ख.न. 680, 681 के दक्षिण दिशा मे ख.न. 682 गै0मु0 रास्ता दर्शित है किन्तु ख.न. 682 गै0मु0 रास्ते पर ख.न. 680 व 681 के खातेदारो ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए नया रास्ता ख.न. 679 व 678 के मध्य से होकर निकाल दिया। अतः आवेदकगण को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए प्रतिपक्षी सं0 1 ता 14 की खातेदारी की भूमि ख.न. 679, 680 मे से 10 फिट रास्ता दिया जावे। तथा तरमीम करवाई जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण में प्राप्त तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार ख.न. 559/2 रकबा 1.18 बीघा वादी स्वयं के नाम एवं ख.न. 545 वादी की पत्नी अनवार बी पत्नी नन्ने खां की खातेदारी मे है। मौके पर वर्तमान मे जो रास्ता बना हुआ है उसमे रास्ता आवागमन हेतु मौके पर बना हुआ है। उसमे ख. न. 682 रकबा 1.09 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता जो नगरपरिषद की खातेदारी मे है। उसमें से वर्तमान मे जो रास्ता मौके पर बना हुआ है तथा जो आवागमन के काम मे आ रहा है। उसको शीट मे हरे डोटेडरंग से दर्शाया गया है जो ख.न. 680, 679, 378 मे होकर जा रहा है। प्रचलित रास्ते मे से ख.न. 679 के पश्चिमी मेर के किनारे किनारे रास्ता चाहता है उसको लाल रंग से डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। इस प्रकार वादी व उसकी पत्नी के खाते की भूमि 545 व 559/2 की भूमि पर वर्तमान मे अन्य कोई रास्ता आने जाने के लिए नही है जहा वादी रास्ता चाहता है वह भूमि खातेदारी की भूमि है जिसकी जमाबंदी व नक्शा संलग्न है।

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–74, नक्शा ट्रेस , आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने आवेदन पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार ख.न. 545 वादी सं0 2 व 559/2 वादी सं0 1 की खातेदारी मे है। राजस्व रिकार्ड अनुसार ख.न. 682 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। ख.न. 678 व 679, 680 प्रतिवादीगण की खातेदारी मे है जिसमे से वादी रास्ता चाह रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। मौका पर्चा एवं तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट अनुसार वादीगण की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। वादीगण ने अपने खेत मे ख.न. 680, व 679 की पश्चिमी मेड के सहारे होते हुए आना जाना बताया है। वादीगण को ख.न. 682 गै0मु0 रास्ते से अपनी भूमि मे जाने के लिए ख.न. 680, 679 मे से होकर जाने के लिए खातेदारी भूमि के अलावा कोई सिवायचक भूमि नही है जिसे आने जाने के उपयोग मे ली जा सके। चूंकि पटवारी की रिपोर्ट /मौका पर्चा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के आस पास खातेदारी की भूमि है और प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई सिवायचक भूमि उपलब्ध नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त मे रास्ते के अभाव मे मार्ग सुखाचार से वंचित है चूंकि उक्त तथ्य सुखाचार का है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' के अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना हो, और यदि मामला पारस्पिरिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है, इसकी उपधारा के अनुसार दिये गये मार्ग को राजस्व अभिलेखो मे 'रास्ता' के रूप मे अभिलिखित की जायेगी। अतः उक्त अधिनियम के तहत सुखाचार में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर, उसकी भूमि को काश्त करने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

Scanned by CamScanner

आदेश

फलस्वरूप आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 545 व 559 मे आने जाने के लिए ख.न. 682 गै0मु0 रास्ते से ख.न. 679 व 680 की पश्चिमी मेड के सहारे 16 फिट चौडा रास्ता आवेदक की खातेदारी की भूमि ख.न. 559/2 की सीमा तक, 1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 मे नयी धारा 251–क के अंतर्गत नियमानुसार आवेदक को रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि वसूल करते हुए दिया जाता है। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा शीट मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/12/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner